INSTITUTIONAL FINANCE & CREDIT CONTROL DEPTT., HARYANA

The Department of Institutional Finance and Credit Control, Haryana is working with its headquarters at Chandigarh in SCO No. 70-71, Sector 8-C, Top floor, Chandigarh. There is no field offices. In all the districts, Additional Deputy Commissioners are designated as Joint Director, Institutional Finance and Credit Control, Haryana, as per orders of the State Govt.

This department is mainly acting as Coordinator between State Govt. Departments and Financial Institutions and also have no public dealings and no schemes are being implemented. The role of this department is peculiar to other departments and also have no such a welfare measures schemes which can be shown in the Citizen Charter.

Keeping in view, the Department of Institutional Finance & Credit Control was set-up vide Haryana Govt. Notification No. 21/3/85-IF(I) dated 12th February 1985 and following functions were assigned to this department :-

i) Arrangement for and promotion of flow of Institutional credit from bank & credit institutions including international credit organization for government and semi-government agencies, public sector undertaking and cooperative agencies, and its monitoring.
ii) Introduction of control mechanisms for better utilization of funds available with government of semi – government agencies, public sector undertakings and other cooperative agencies.
iii) Aid and Advice to government departments and government/ semi-government agencies, public sector undertakings and other cooperative agencies in finalization of bank scheme.
iv) Provision of consultancy facilities to the government department and the aforesaid agencies.
v) Coordinator of banking activities and sectoral allocation of credit in the State for the implementation of development projects.
vi) Establishment matters relating to officers and staff under the administrative control of the department except matters allotted to the General Administration Department.
vii) Any other matter connected with institutional finance and credit control.

In view of the role of coordinator between banks and financial institutions on the one hand and State Govt. Departments/ Agencies implementing development & Govt. Sponsored Schemes alongwith the general public constituting the beneficiaries under these schemes, the department can be approached by these regarding any problem being faced in the smooth implementation of the schemes and obtaining the required

finance from the financial institutions including banks. In order to provide necessary institutional finance to the needy borrowers under these schemes, an Annual Credit Plan is formulated at district levels jointly by the banks and financial institutions and the line departments under the overall guidance of Additional Deputy Commissioner-cum-Joint Director, IF&CC Deptt. with active guidance and agencies from the Lead District Manager of the district. The aggregate of these District Credit Plans constitute the Annual Credit Plan for the State as a whole.

The implementation of the ACP is monitored closely monthly meetings at Block Level by the BLBC, Standing Committee meeting at district level on monthly basis and thereafter in the District Consultative Committee meetings on quarterly basis. These meetings are attended by Senior Executives of the concerned banks and financial institutions and also District Level Officers of the line departments. These meetings are held under the chairmanship of Deputy Commissioners concerned. Local problems are discussed and resolved. Issues pertaining to policy decisions are taken up by State Level Bankers' Committee meeting during its quarterly meetings which are attended by Heads of Departments of line departments/ agencies alongwith Controlling Heads of banks and financial institutions. Secretary Incharge alongwith the Director of IF&CC also participate in these meetings.

However, for the general public, stray cases relating to problems faced by them in getting the necessary finance are also entertained by the department. The public can approach this department in person also for guidance/ resolving of their problems. At district level, general public can approach ADC who is also Joint Director of IF&CC or Lead District Manager for guidance and resolving their misc. problems relating to obtaining institution finance.

संस्थागत वित्त एवं साख नियन्त्रण विभाग, हरियाणा

नागरिक अधिकार पत्र

संस्थागत वित्त एवं साख नियन्त्रण विभाग, हरियाणा अपने मुख्यालय एस.सी.ओ. नं0 70-71, सैक्टर 8 सी, चण्डीगढ में कार्यरत है । इसका कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है । राज्य सरकार के आदेशानुसार सभी जिलों में नियुक्त अतिरिक्त उपायुक्त को संयुक्त निदेशक संस्थागत वित्त एवं साख नियन्त्रण विभाग से भी पदनामित किया गया है ।

यह विभाग मुख्यत: राज्य सरकार के विभागों एवं वित्तीय संस्थाओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है । सीधे रूप में आम जनता से इसका कोई लेनदेन नहीं है तथा न ही किसी योजना का कार्यान्वित किया जा रहा है। इस विभाग का कार्यरूप अन्य विभागों से कुछ हटकर है और इस नागरिक अधिकार पत्र में दर्शाने योग्य कोई कल्याणकारी योजना नहीं है ।

इसे ही ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 21/3/85–आई0एफ0(I) दिनांक 12 फरवरी 1985 द्वारा संस्थागत वित्त एवं साख नियन्त्रण विभाग स्थापित किया गया था । इस विभाग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए थे :–

1. सरकारी/अर्ध सरकारी एजेन्सियों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा सहकारी एजेन्सियों के लिए बैंकिंग तथा साख संस्थाओं जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय साख संगठन भी शामिल है से संस्थागत ऋण का प्रबन्ध करना उसकी प्राप्ति को बढाना और उसका परिवेक्षण करना ।

2. सरकारी/अर्ध सरकारी एजेन्सियों सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और दूसरी सहकारी एजेन्सियों के पास उपलब्ध निधियों के बेहतर प्रयोग के लिए नियन्त्रण क्रियाविधि का सूत्रपात करना ।

3. बैंक स्कीमों को अन्तिम रूप देने में सरकारी विभागों और सरकारी अर्ध सरकारी एजेन्सियों सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और दूसरी सहकारी एजेन्सियों को सहायता तथा परामर्श देना ।

4. सरकारी विभागों तथा उक्त एजेन्सियों के लिए परामर्श सुविधाओं की व्यवस्था करना ।

5. विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए बैंकिग गतिविधियों की व्यवस्था करना ।

6. सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपे गए मामलों को छोडकर विभाग के प्रशासकीय नियन्त्रणाधीन अधिकारियों तथा अमले से सम्बन्धित स्थापना मामले ।

7. संस्थागत वित्त एवं साख नियन्त्रण से सम्बन्धित कोई अन्य मामला ।

बैकों सहित सभी वित्तीय संस्थाओं तथा राज्य के सरकारी विभागों व सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में कार्यरत अन्य एजेंन्सियों और जन–साधारण से लाभार्थीयो द्वारा इन स्कीमों के कार्यान्वयन के दौरान किसी कठिनाई अथवा वांछित वित्त प्राप्ति के लिए इस विभाग को मध्यस्थ के रूप में सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है । जरूरतमंद ऋणकर्ताओं को इन योजनाओं के अंतर्गत आवश्यक संस्थागत वित्त उपलब्ध कराने हेतू सभी बैंकों तथा वित्तीय संस्थाऐं अतिरिक्त उपायुक्त एवं सयुंक्त निदेशक, संस्थागत वित्त तथा अग्रणी जिला प्रबन्धकों के कुशल मार्गदर्शन में जिला स्तर पर एक वार्षिक ऋण योजना तैयार की जाती है । इन सभी वार्षिक जिला योजनाओं को मिलाकर सारे राज्य के लिए एक वार्षिक ऋण योजना तैयार की जाती है ।

वार्षिक ऋण योजना को खण्ड स्तर पर खण्ड स्तरीय बैंर्कस समिति द्वारा स्थाई समिति की बैठकों में जो महीने में एक बार तथा जिला स्तरीय परामर्शदार्ती समिति की बैठकें जो कि त्रैमासिक आधार पर होती हैं मे बहुत ही सूक्ष्म रूप से अनुपर्वन किया जाता है । इन बैठकों में सम्बन्धित बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी और जिला स्तर पर सम्बन्धित विभागों के अधिकारीं भाग लेते हैं । इन बैठकों का आयोजन जिला के उपायुक्त की अध्यक्षता में किया जाता है । स्थानीय कठिनाईयों का तकानुसार निवारण किया जाता है । नीतिगत विषयों पर निर्णय राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की त्रैमासिक बैठकों में सभी सम्बन्धित विभागाध्यक्षों तथा बैंकों व वित्तीय संस्थाओं के नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा किया जाता है । संस्थागत वित्त एवं साख नियन्त्रण विभाग के निदेशक एवं कार्यभारी सचिव भी इन बैठकों में भाग लेते हैं ।

आवश्यक वित्त प्राप्ति में जनसाधारण की कठिनाईयों पर इस विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है । आवश्यक परामर्श/कठिनाईयों के निवारण हेतू जनसाधारण भी व्यक्तिगत रूप से इस विभाग से संपर्क कर सकते हैं । जिला स्तर पर जनसाधारण अपने विभिन्न वित्त प्राप्ति सम्बन्धित कठिनाईयों के निवारण हेतू तथा परामर्श के लिए अतिरिक्त उपायुक्त, जो कि संस्थागत वित्त एवं साख नियन्त्रण विभाग के संयुक्त निदेशक भी है तथा बैंकों के जिला अग्रणी प्रबन्धक से सम्बन्ध स्थापित कर सकता है ।